



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 18.08.2025

मात्र 12 घण्टे के अन्दर बिजली के पोल से तार की चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से चोरी किया गया बिजली का तार, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण एवं परिवहन में प्रयुक्त 01 लोडर किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस थाना सहसों द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

अवर अभियन्ता राजाबाबू पुत्र रामसनेही विद्युत उपकेन्द्र हनुमन्तपुरा द्वारा थाना सहसों पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 17.08.2025 को 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र हनुमन्तपुरा से पोषित 11 केवी फीडर सिण्डौस की लाइन के 04 पोल क्वारी नदी के पहले 03 तार जिनकी लम्बाई 600 मीटर को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया एवं 04 नग विद्युत पोल क्षतिग्रस्त कर दिये गये हैं। सूचना पर तत्काल थाना सहसों पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 303(2)/324(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.08.2025 को थाना सहसो पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चम्बल पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि बल्लो की गढ़िया की ओर से कुछ व्यक्ति लोडर में चोरी का सामान लेकर चकरनगर की ओर आ रहे हैं, सूचना पर तत्काल थाना सहसों पुलिस द्वारा हनुमन्तपुरा चौराहे पर सघन चैकिंग की जाने लगी इसी दौरान 01 लोडर आता दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा लोडर को कुल 04 व्यक्तियों सहित हनुमन्तपुरा बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये लोडर की तलाशी ली गयी तो लोडर से 01 कटर, 01 जोड़ी रवर के ग्लब्स, 01 रस्सी, 03 बण्डल बिजली का तार बरामद किया गया तथा अभियुक्त बंटू उर्फ बन्टी के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। बरामद बिजली के तार के सम्बन्ध में सभी से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने मिलकर क्वारी नदी के पास लगे बिजली के खम्बे पर रस्सी डालकर तारों को खींचकर खम्बे को गिराकर कटर व प्लास, पेचकस की सहायता से तार को काटकर चोरी कर लिया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सहसों पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2025 धारा 303(2)/324(3) में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बंटू उर्फ बन्टी पुत्र अगनलाल निवासी राठौर नगर आशाबाग थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 45 वर्ष।
2. गोपाल पुत्र झम्मन लाल निवासी राठौर नगर आशाबाग थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 50 वर्ष।
3. श्याम पुत्र दामोदर राठौर निवासी कायतो थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र 40 वर्ष।
4. आकाश प्रजापति पुत्र पंचम सिंह निवासी मुईउद्दीनपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 40/2025 धारा 303(2)/324(3)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त बन्टू उर्फ बन्टी पुत्र अगनलाल

2. मु0अ0सं0 448/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 58/2018 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0 126/2018 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद
5. मु0अ0सं0 167/2018 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद
6. मु0अ0सं0 367/2018 धारा 136 विद्युत अधिनियम व धारा 411 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद
7. मु0अ0सं0 107/2021 धारा 136 विद्युत अधिनियम व धारा 379/411 भादवि थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद
8. मु0अ0सं0 426/2021 धारा 411 भादवि व धारा 41/102 द0प्र0सं0 थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद
9. मु0अ0सं0 40/2025 धारा 303(2)/324(3)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहसों जनपद इटावा।

बरामदगी:

1. 01 कटर
2. 01 जोड़ी रवर के ग्लब्स
3. 01 रस्सी
4. 01 प्लास्टिक की बोरी में 03 बण्डल बिजली का तार **(चोरी किये गया)**
5. 01 तमन्चा 315 बोर
6. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
7. 01 लोडर नं0 UP83 DT 5724 **(घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम: निरी0 श्री अलमा अहिरवार, उ0नि0 विजय सिंह, उ0नि0 घनश्याम सिंह, का0 भेषज, का0 अंकुर पवार, का0 जगत नारायन, का0 चालक सुनील कुमार।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- की धनराशि से पुरस्कृत किया गया।

